न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 57/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/71

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री लोकेन्द्र टांक पुत्र श्री जीतमल टांक, विक्रेता मैसर्स संजय किराणा स्टोर, सांगडोद तह. व जिला बांसवाडा
2. श्री जीतमल टांक पुत्र श्री लालचन्द टांक, मालिक मैसर्स संजय किराणा स्टोर सांगडोद, तह. व जिला बांसवाडा
3. श्री विमल पटेल पुत्र श्री मणीलाल पटेल मालिक मैसर्स गुरुकृपा ट्रैडर्स, बध्व कपिल गारमेन्ट्स पुराना बस स्टैण्ड बांसवाडा
4. Shri Mahendrabhai virchandbhai Chavda, Nominee M/s Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd, Surrvey no. 105/1 Village-Padana, Dis.-Kutch, Gandhi Dham Gujrat 370201, Reg. Office- Koteshwer House, DBZ/South-63, near Gandhi Dham, Municipal Office, Dist.-Kutch, Gujrat-370201, Permanent address-Nnao Vanakar Vas, Ugamana Darvaja, Chanasma, Patan, Gujrat 384220
5. M/s Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd. Surrvey no. 105/1, Village-Padana Dis.-Kutch, Near Gandhi Dham, Gujrat-370201, Reg. Office-Koteshwar House, DBZ/South-63, Near Gnadhi Dham, Municipal Office, Dist.-Kutch, Gujrat-370201

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के त[illegible] प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य [illegible] बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज) के द्वारा दिनांक 29-11-2021 [illegible] पेश किया गया कि दिनांक 10-12-2020 को 3.30 पी.एम. बजे ब[illegible]यत खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] खाद्य पदार्थों की जॉच हेतु मैसर्स संजय किराणा स्टोर, ग्राम सागडौद, चौराया (हेरापाडा) पो.

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

सागडौद तहसील व जिला बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री लोकेन्द्र टांक पुत्र श्री जीतमल टांक उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में एक प्लास्टिक के कट्टे में रिफायइण्ड आयोडीन युक्त नमक **Koteshwasr's tara Shakti Salt** 1 कि.ग्रा के 20 पैकेट (पोलीपेक) मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थितिं में आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ एवं सबस्टेण्डर्ड का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते उक्त **रिफायइण्ड आयोडीन युक्त नमक Koteshwasr's tara Shakti Salt** के 1 किग्रा. वाले 4 पैकेट मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में खरीदे तथा इनकी कीमत 40 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **रिफायइण्ड आयोडीन युक्त नमक Koteshwasr's tara Shakti Salt 1 किग्रा वाले 4 पैकेट** पर फार्म नं.5 ए पर वर्णित सभी जानकारियॉ अंकित पायी गयी तथा पैकेट पर ही लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाध सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर W-699 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेट को प्लास्टिक के चार साफ सुखे एवं खाली बॉक्स में भरकर प्रत्येक बॉक्स में उक्त खाद्य पदार्थ का एक पैकेट मूल ही रखकर प्रत्येक बॉक्स का ढक्कन टेप लगाकर एयर टाईड बन्द किया तथा नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया, विक्रेता को मौके पर नमुने के चौथे भाग की जॉच NABL Lab में करवाने सम्बन्धित जानकारी दी गई। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/19–20 दिनांक 01.01.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 368 दिनांक 22.12.2020 अनुसार विक्रेता [illegible] लिया गया **रिफायइण्ड आयोडीन युक्त नमक Koteshwasr's tara Shakti** [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा [illegible])(Zx) के तहत [illegible] **M/s Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd.** के डायरेक्टर द्वारा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील अभिहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:39 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के समक्ष प्रस्तुत करने पर नमूने का द्वितीय भाग निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे को पुनः जॉच हेतु भिजवाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के पत्रांक 181-182 दिनांक 05.05.2021 के द्वारा निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुंणे के विश्लेषण सर्टिफिकेट नं.RFL/DO/144/21/251/2021 दिनांक 26.03.2021 के अनुसार नमूना क्रमांक W-699 खाध पदार्थ **रिफायइण्ड आयोडीन युक्त नमक Koteshwasr's tara Shakti Salt सबस्टेण्डर्ड** पाया गया है। चुंकि नियमानुसार रेफरल फुड लेबोरेट्री से जॉच रिर्पोट अन्तिम है। विक्रेता द्वारा **मुंगफली तेल (प्रिया) सबस्टेण्डर्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 साथ ही निर्माता अभियुक्तगण सं. 4 व 5 ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ बेचकर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) का उल्लंघन किया है जो धारा 58 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29-11-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 10.01.2022 को अभियुक्तगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे के विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/144/21/251/2021 दिनांक 26.03.2021 के अनुसार नमूना क्रमांक W-699 खाध पदार्थ **रिफायइण्ड आयोडीन युक्त नमक Koteshwasr's tara Shakti Salt सबस्टेण्डर्ड** पाया गया है। चुंकि नियमानुसार रेफरल फुड लेबोरेट्री से जॉच रिर्पोट अन्तिम है। विक्रेता द्वारा **रिफायइण्ड आयोडीन युक्त नमक Koteshwasr's tara Shakti Salt सबस्टेण्डर्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण करना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:39 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया ———

Scanned with CamScanner

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **रिफायइण्ड आयोडीन युक्त नमक Koteshwasr's tara Shakti Salt** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री लोकेन्द्र टांक पुत्र श्री जीतमल टांक, विक्रेता मैसर्स संजय किराणा स्टोर, सांगडोद** को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), श्री जीतमल टांक पुत्र श्री लालचन्द टांक, मालिक मैसर्स संजय किराणा स्टोर सांगडोद को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), श्री विमल पटेल पुत्र श्री मणीलाल पटेल मालिक मैसर्स गुरूकृपा ट्रैडर्स, बध्य कपिल गारमेन्ट्स पुराना बस स्टैण्ड बांसवाडा को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), **Shri Mahendrabhai virchandbhai Chavda, Nominee M/s Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd,** को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र), **M/s Koteshwar Chemfood Industries Pvt. Ltd.** को रूपये 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:06:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner